जे-15015/2/2014-जी-1
भारत सरकार
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,लोदी रोड
नई दिल्ली-110003

दिनांक :10.10.2014
नियत तिथि -03.11.2014 को 3.00 बजे शाम तक
बोली खोले जाने की तिथि-03.11.2014 को 3.30 बजे शाम तक

पृति,

टॉवल, पर्दे, बेड शीट, तकिए के खोल, सीट कवर इत्यादि की धुलाई के लिए कोटेशन/दरों का आमंतृण।

महोदय,

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अनुभवी सेवा पृदाताओं से टॉवल, पर्दे, बेड शीट, तकिए के खोल, सीट कवर इत्यादि की धुलाई हेतु दरों का अनुबंध देने के लिए मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। जिन वस्तुओं की धुलाई कराई जानी है, उनकी वार्षिक मात्रा निम्नलिखित तालिका में दी गई है तथा पृत्येक वस्तु के सामने तालिका में निर्धारित स्थान पर दरें बताई जानी हैं:-

क्र.सं.	विवरण*	अनुमानित संख्या	पृति इकाई/कार्य की दर (रुपये)
1.	टॉवल	10400	
2.	बेड शीट	30	
3.	तकिए के खोल	10	
4.	स्टाफ कार के सीट कवर	600	
5.	पर्दे	60	

- वास्तविक आवश्यकता के आधार पर मात्रा बदल भी सकती है।

निविदा के लिए बोली लगाते समय निम्नलिखित निबंधन व शर्तों का ध्यान रखा जाना चाहिए:

निबंधन व शर्तें

1. मुहरबंद लिफाफे के ऊपर की ओर अंकित होना चाहिए- "टॉवल, पर्दे, बेड शीट, तकिए की खोल,सीट कवर इत्यादि की धुलाई के लिए कोटेशन - निविदा पूछताछ संख्या: जे-15015/2/2014-जी-1, दिनांक 10.10.2014" लिखा होना चाहिए। इसे इच्छुक बोलीकर्ताओं की उपस्थिति में शाम 3.30 बजे खोला जाएगा।

2. बोली नियत तिथि यानि 3.11.2014 को शाम 3.00 बजे तक या उससे पहले उपरोक्त पते पर स्वागतकक्ष (भूतल) में रखे निविदा बॉक्स में डाली जानी चाहिए। नियत तिथि और समय के बाद प्राप्त बोलियां अस्वीकृत कर दी जाएंगी। यदि किसी वजह से नियत तिथि को केन्द्र सरकार के कार्यालय के लिए अवकाश घोषित कर दिया जाए तो निर्धारित स्थान और समय पर बोली प्रस्तुत करने/लगाने की तिथि से अगला कार्य दिवस बोली प्रस्तुत करने/लगाने की नियत तिथि माना जाएगा।

3. बोली प्रस्तुत करने से पहले बोलीकर्ता निविदा दस्तावेज को ध्यान में पढ़ लें। किसी भी शंका के मामला में वे निविदा जारी किए जाने की तिथि से 21.10.2014 तक संयुक्त निदेशक (सामान्य पृशासन) से सुबह 11 बजे से दोपहर 1.00 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।

4. बोलीकर्ताओं से यह अपेक्षित है कि प्रत्येक मद का मूल्य केवल निविदा दस्तावेज की तालिका में ही दें। इसके लिए विभाग द्वारा कोई अन्य प्रारूप स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. बोलियां नियत तिथि के बाद न्यूनतम 90 दिनों की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।

6. निविदा पत्र पदनाम से संबोधित किया जाना चाहिए तथा निविदा वाले मुहरबंद लिफाफों को निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के नाम से संबोधित किया जाना चाहिए। इन लिफाफों पर हमारी निविदा संख्या अवश्य लिखी जानी चाहिए।

7. यह निविदा अधोहस्ताक्षरी को नियत तिथि पर या उससे पहले अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए, अन्यथा इसे अस्वीकार किया जा सकता है।

8. बोलीकर्ता द्वारा उद्धृत की गई दरें, दरों के अनुबंध में दिए जाने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगी और इसे दोनों पक्षकारों (सेवा प्राप्तकर्ता और सेवा प्रदाता) की आपसी सहमति से एक वर्ष पूरा होने के बाद अगले दो वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

9. यदि आपसी सहमति हो तो दरों के अनुबंध, करार को अगले दो वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि किसी भी स्तर पर सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता निविदा/करार की किसी शर्त का उल्लंघन करता पाया जाता है या विभाग को धोबी का कार्य संतोषजनक नहीं लगता है तो, इस करार को समाप्त किया जा सकता है। इस संबध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

10. कोई अन्य प्रभार जिसकी उगाही की जानी है तो उसे स्पष्ट रूप से बताया जाए। यदि कोई कर हैं तो उनका भुगतान विभाग द्वारा किया जाएगा।

11. अधूरे कोटेशन अस्वीकृत किए जा सकते हैं।

12. कार्यनिष्पादन सुरक्षा जमा राशि

सभी बोलीकर्ताओं को ईएमडी के रूप में नई दिल्ली में देय "पीएओ, डीईआईटीवाई" के पक्ष में 2000/-रु. का भुगतान आदेश/बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना आवश्यक है। सफल बोलीदाता को किसी राष्ट्रीयकृत/वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी 3000/-रु. की बैंक गारंटी अथवा इतनी ही राशि का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा, जिसे कार्यनिष्पादन सुरक्षा जमा राशि के रूप में रखा जाएगा। दरों का अनुबंध समाप्त होने के 2 महीने बाद कार्यनिष्पादन सुरक्षा जमा राशि वैध होगी।

13. यदि संविदा की अवधि के दौरान चुने गए सेवा प्रदाता की सेवाएं संतोषजनक नहीं पायी जाती हैं तो बिना किसी पूर्वाग्रह के फर्मों द्वारा जमा करायी गयी कार्यनिष्पादन सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। कार्यनिष्पादन सुरक्षा जमा राशि संविदा अवधि के समाप्त होने के तत्काल बाद जारी की जाएगी। कार्यनिष्पादन सुरक्षा जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

14. यदि कार्य अच्छा और संतोषजनक नहीं होगा तो विभाग संविदा अवधि के दौरान किसी भी समय संविदा समाप्त कर देगा और कार्यनिष्पादन सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

15. चुने गए बोलीकर्ता/फर्म से यह अपेक्षित है कि वह सप्ताह में एक दिन यानि सोमवार या शुक्रवार को धुली हुई पुरानी वस्तुओं को लौटाकर धुलाई योग्य प्रत्येक वस्तु ले जाए। बोलीकर्ता को प्रत्येक अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से धुला हुआ सामान उपलब्ध कराना होगा और पुराना सामान धुलाई के लिए लेकर जाना होगा। प्रत्येक अधिकारी की सीट पर सेवाएं दी जाएंगी तथा इस प्रयोजन से होने वाले परिवहन इत्यादि के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा।

16. चुने गए न्यूनतम दर वाले बोलीकर्ता को अधिनिर्णय पत्र जारी किए जाने की तारीख से प्रारंभिक 1 वर्ष की अवधि के लिए नियत दर पर वस्तुओं की धुलाई करने के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट सामग्री की वार्षिक आवश्यकता केवल अनुमानित है। वास्तविक मात्रा, वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार बदल सकती है।

17. रसीद प्राप्त होने और आइटमों की संतोषजनक स्वीकृति के साथ-साथ तीन प्रतियों में प्री-रिसीप्टेड बिल प्राप्त होने पर ही मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।

18. यदि बोलीकर्ता निश्चित प्रदायगी अवधि के भीतर मदों की आपूर्ति करने में असफल रहते हैं तो विभाग को यह छूट होगी कि वह दर का अनुबंध खत्म कर दें, ऑर्डर समाप्त कर दे और कार्यनिष्पादन सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ले।

19. सभी प्रकार प्रकार के विवादों का निपटारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले न्यायालयों में किया जाएगा और अनुबंध भारत में यथा लागू विधियों द्वारा शासित होगा।

भारत के राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षरित

(बी.डी.शर्मा)
संयुक्त निदेशक